

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मलसीसर जिला झुंझुनुं (राज०)

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा

(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड दुरुस्ती, खाता विभाजन

अन्तिम वाद डिक्री

राजस्व वाद संख्या :- 14/2023 (आजाद नबी वगै० बनाम अदनान खां वगै०रह)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रुबरू, पंकज शर्मा, उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रुबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है कि

मुकदमा में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 19.02.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मलसीसर को आदेश दिया गया था कि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा का मुताबिक कब्जा काश्त रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विधिवत् विभाजन तैयार किया जाकर विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

तहसीलदार मलसीसर के आदेश क्रमांक भू०अ०/2025/1159 दिनांक 12.06.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.08.2025 निर्णयवाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर ग्राम मलसीसर की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1306/832, 1307/827 कुल किता 2 कुल रकबा 1.06 है० भूमि का निम्न प्रकार खाता विभाजन का आदेश दिया जाता है विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा :-

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (है० में)	भूमि किस्म
1	सकिला पत्नी आजाद नबी हि० 1/3 जावेद हुसैन पुत्र आजाद नबी हि० 1/3 आरजू पुत्री आजाद नबी हि० 1/3 जाति कायमखानी सा० देह खातेदार	1306/832/2	0.52	बा.2
2	अदनान खां पुत्र मोहम्मद रफिक हि० 1/4 जमिल पुत्र मोहम्मद रफिक हि० 1/4 अली राजा पुत्र मोहम्मद रफिक हि० 1/4 नूर बानो पत्नी मोहम्मद रफिक हि० 1/4 जाति कायमखानी सा० देह खातेदार	1307/827 1306/832/ 1	0.11 0.41 0.52	बा.2 बा.2
3	सकिला पत्नी आजाद नबी हि० 1/6 जावेद हुसैन पुत्र आजाद नबी हि० 1/6 आरजू पुत्री आजाद नबी हि० 1/6 अदनान खां पुत्र मोहम्मद रफिक हि० 1/8 जमिल पुत्र मोहम्मद रफिक हि० 1/8 अली राजा पुत्र मोहम्मद रफिक हि० 1/8 नूर बानो पत्नी मोहम्मद रफिक हि० 1/8 जाति कायमखानी सा० देह खातेदार	1306/832/3	0.02	गै०मु०रास्ता

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.08.2025 को जारी की गई।



41
(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर